इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

साधारण विधेयक दो प्रकार के होते हैं

साधारण विधेयक
- सरकारी विधेयक
- गैर-सरकारी विधेयक

सरकारी विधेयक	गैर-सरकारी विधेयक
→ सरकारी विधेयक सरकार के मंत्री पेश करते हैं।	→ इसको मंत्री नहीं पेश करते। → इसको कोई भी सांसद पेश करता है।

→ साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं (लोकसभा या राज्यसभा)।

→ किसी भी विधेयक को प्रत्येक सदन में तीन चरणों से गुजरना होता है।

प्रथम चरण (1st stage)

→ संबंधित विभाग का मंत्री विधेयक को पेश करेगा।

→ विधेयक पर प्रथम वाचन करेगा।

→ विधेयक की प्रतिलिपि कॉपी सभी सदस्यों में वितरण बाँटी जाएगी।

→ भारत सरकार के गजट में प्रकाशित होगा।

द्वितीय चरण (2nd stage)

→ विधेयक पर चर्चा / बहस !

→ विधेयक की जाँच करने के लिए प्रवल समिति का गठन करना !

→ विधेयक पर संशोधन करना !

तृतीय चरण (3rd stage)

→ विधेयक में भाषाओं के संशोधन किए जाते हैं !

→ विधेयक पर वोटिंग करना !

→ विधेयक का पारित होना या विधेयक का ना पारित होना !

दूसरा सदन

→ यदि विधेयक प्रथम सदन से पारित होता है तो द्वितीय सदन में जाता है !

→ द्वितीय सदन में:-

- प्रथम चरण → विधेयक का पेश होना !
- द्वितीय चरण → विधेयक पर बहस, चर्चा, संशोधन समिति का गठन !
- तृतीय चरण → विधेयक पर वोटिंग, विधेयक का पारित होना !

→ दोनों सदनों से विधेयक पारित होने के बाद अनुच्छेद-111 के तहत राष्ट्रपति के पास जाता है राष्ट्रपति यदि हस्ताक्षर (sign) करते हैं तो विधेयक कानून बन जाता है !

→ राष्ट्रपति विधेयक को पुर्नविचार के लिए लौटा सकते हैं और वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं !

NOTE:-

→ यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुर्नविचार के लिए लौटा देते हैं तो सरकार ने उसे दुबारा भेजती है तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर (sign) करने के लिए बाध्य है 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत !

→ यदि किसी विधेयक को एक सदन पारित कर दे और दूसरा सदन असहमति जता दे इस स्थिति को संवैधानिक गतिरोध कहते हैं ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है! (Article-108)

Article - 108

संयुक्त बैठक
Joint Sitting

→ दोनों सदनों के मध्य संविधान गतिरोध (constitutional Dead Lock) पैदा होने की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद - 108 में संयुक्त बैठक बुलाते है जब -

(i) एक सदन विधेयक पारित कर दे और दूसरा सदन असहमति जता दे !

(ii) दोनो सदनो के मध्य असहमति !

(iii) दूसरा सदन 6 महीनें से अधिक विधेयक को रोक दे !

→ इन तीनों मे से कोई एक भी परिस्थिति आती है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते है !

Article - 118

संयुक्त बैठक की प्रक्रिया
Joint sitting Procedure

→ संयुक्त बैठक हमेशा लोकसभा में आयोजित की जाती है और लोकसभा के नियमों के अनुसार होती है !

Article- 118(4)

[संयुक्त बैठक की अध्यक्षता
Chairmanship of joint Meeting]

→ लोकसभा में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है!

→ लोकसभा के अध्यक्ष के अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं!

→ लोकसभा के उपाध्यक्ष के अनुपस्थित में राज्यसभा के उपसभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं!

→ राज्यसभा के उपसभापति के अनुपस्थिति में लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं!

[संयुक्त बैठक]

दहेज प्रथा अधिनियम - 1960-1961

बैंकिंग सेवा अधिनियम - 1977-1978

आतंकवाद निरोध संरक्षण अधिनियम - 2002
(POTA - Prevention of Terrorism Act)

→ सामान्यतः सरकार संयुक्त बैठक तब बुलाती है जब लोकसभा में बहुमत हो और राज्यसभा में स्थिति कमजोर हो

NOTE:- → संयुक्त बैठक को पारित करने के लिए उपस्थित और मतदान का कुल बहुमत चाहिए! (50%+1)

Article- 118(1)

प्रस्ताव (Motions)

काम रोको / स्थगन प्रस्ताव
Adjournment Motion

→ किसी भी सदन की चल रही कार्यवाही को रोक कर तात्कालिक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना!

→ सरकार का ध्यान आकर्षित करना!

→ साधारणत: 4 बजे के बाद काम रोको प्रस्ताव आता है!

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव
Motion of Attention

→ सदन की चल रही कार्यवाही को रोक कर किसी तात्कालिक महत्वपूर्ण विषय पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करना इसे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कहते हैं!

→ इसकी शुरूआत वर्ष 1954 से हुई थी!

[निंदा प्रस्ताव Cenure Motion]

→ निंदा प्रस्ताव लोकसभा में सरकार या मंत्री के खिलाफ सही कार्य न करने पर लाया जाता है क्योंकि सरकार लोकसभा के प्रति अनुच्छेद - 75(3) मे जिम्मेदार होती है।

→ यदि यह प्रस्ताव पारित होता है तो सरकार गिर जाती है।

[अविश्वास प्रस्ताव NO-confidence Motion]

→ भारत में संसदीय प्रकार की व्यवस्था पायी जाती है अतः भारत सरकार लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है अनुच्छेद - 75(3)।

→ सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है।

→ सदन के 50 सदस्य इस प्रस्ताव को ला सकते हैं।

→ (50%+1) से यदि प्रस्ताव पारित होता है तो सरकार गिर जाती है।

→ अब तक लगभग 27 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है।

* प्रथम अविश्वास प्रस्ताव वर्ष 1963 में।
  (आचार्य जे॰ बी॰ कृपलानी J.L.Nehru सरकार के विरुद्ध)

* आचार्य जे॰बी॰ कृपलानी Congress party के सदस्य थे।

विश्वास प्रस्ताव
Confidence Motion

→ सरकार स्वयं का बहुमत लोकसभा में साबित करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाती है।

→ 1990 में वी॰ पी॰ सिंह सरकार
1997 में एच॰ डी॰ देवगौड़ा सरकार
1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार
→ विश्वास प्रस्ताव साबित करने में सरकार गिर गई थीं।

धन्यवाद प्रस्ताव
Motion of Thanks

→ धन्यवाद प्रस्ताव प्रत्येक आम चुनाव के बाद तथा साल का प्रथम सत्र में राष्ट्रपति पेश करता है।

→ धन्यवाद प्रस्ताव को सरकार तैयार करती है इसमें सरकार की उपलब्धियाँ (Achivements) सरकार की भविष्य की योजनाएँ की चर्चा की जाती है।

सचेतक
Whip

→ किसी राजनीतिक दल का उस दल के सदस्यों के प्रति अनुशासन बनाये रखने के लिए जारी किया गया एक आदेश है।

→ यदि कोई सदस्य सचेतक (whip) का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही सदन का अध्यक्ष करता है।

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

[आधे घंटे की चर्चा
Half An Hour Discussion]

→ सदन का अध्यक्ष सप्ताह में तीन दिन 30 Minute का चर्चा करता है इसे आधे घंटे चर्चा कहते है!

[संसदीय समितियाँ
Parliamentary Committee]

- स्थायी समितियाँ (Standing Committee)
  - वित्त संबंधी समिति (Financial Committees)
    - लोक लेखा समिति (Public Account Committee)
    - प्राकलन समिति (Estimate Committee)
    - लोक उपक्रम समिति (Public Undertaking Committee)
  - विभागीय समितियाँ (Departmental Committees)
- अस्थायी समितियाँ (Adheck Committee)

NOTE:-

→ 1919 के अधिनियम से संसद में समितियों का विकास किया गया!

लोक लेखा समिति
Public Account Committee

→ लोक लेखा समिति 1921 में बनी।

→ इसमें 22 सदस्य होता है 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से।

→ 1967 से इसका अध्यक्ष विपक्ष से होता है।

→ इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है।

→ वर्तमान अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी है।

→ इनका चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है राजनीति दल से लोकसभा की सीटों की संख्या के अनुपात में सदस्य लिए जाते हैं।

लोक लेखा समिति के कार्य
Functions of Public Accounts Committee

→ लोक लेखा समिति CAG की रिपोर्ट की जाँच करती है।

→ CAG लोक लेखा समिति की जाँच में पूर्ण समर्थन सहयोग देता है इसलिए CAG को लोक लेखा समिति का Friend Philosopher और Guide कहा जाता है।

प्राक्कलन समिति
Estimate Committee

→ प्राक्कलन समिति की स्थापना 1950 में हुई।

→ इसमें लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं।

→ यह एक सदन की सबसे बड़ी स्थायी समिति है।

- इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है।
- इनका चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है।

NOTE:-

- राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होता।

प्राक्कलन समिति के कार्य
Functions of Estimates Committee

- इसका कार्य बजट पर चर्चा करना अनुमान लगाना तथा व्यय संबंधी विभिन्न प्रकार के प्राक्कलनों पर चर्चा करना

NOTE:-

- लोक लेखा समिति की जुड़वा बहिन प्राक्कलन समिति को कहते हैं।
- इसे ~~मितव्यता~~ मितव्यता समिति भी कहते हैं।
- इसके वर्तमान अध्यक्ष गीरिश बापत हैं।

लोक उपक्रम समिति
Public Undertaking Committee

लोक उपक्रम में 22 सदस्य होते हैं 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से

इसकी स्थापना वर्ष 1964 मे हुई थी कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर (1963).

→ इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है।

→ इसका चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है।

→ इसका अध्यक्ष पक्ष विपक्ष दोनों में कोई हो सकता है।

→ इसका वर्तमान अध्यक्ष संतोष गंगवार है।

लोक उपक्रम समिति का कार्य
Functions of Public Undertakings Committee

→ भारत सरकार के लोक उपक्रम
जैसे:- NTPC ONGC आदि की जाँच करती है।

NOTE:

→ कोई मंत्री किसी समिति का सदस्य नहीं होता है।

विभागीय समितियाँ
Departmental Committees.

→ इनकी स्थापना वर्ष 1992-93 मे की गई।

→ वर्तमान समय में 24 विभागीय समितियाँ है।
16- लोकसभा से 8- राज्यसभा से

→ एक विभागीय समिति में 31 सदस्य होते है।
21- लोकसभा से 8- राज्यसभा से

[विभागीय समितियों का कार्य Work of Departmental Committees.]

→ विभागीय समितियों का कार्य किसी एक विभाग से संबंधित जाँच करना है।

→ इन समितियों का गठन बजट की जाँच करने के लिए किया जाता है।

NOTE:-

→ प्राक्कलन समिति संपूर्ण बजट की जाँच करती है जबकि विभागीय समितियाँ बजट को विभिन्न विभागों में बाँट कर जाँच करती हैं।

[अस्थायी समिति Temporary Committee.]

संयुक्त संसदीय समिति (Joint Parliamentary Committee _ JPC)

→ यह एक अस्थायी समिति है किसी विशेष मामले की जाँच करने के लिए इसका गठन किया जाता है।

→ अब तक सिर्फ 5 बार इसका गठन किया गया है।

(i) 1987 → बोफोर्स घोटाला
(ii) 1992 → शेयर मार्केट घोटाला
(iii) 1999 → प्रतिभूति मार्केट घोटाला
(iv) 2009 → कोल्ड ड्रिंक्स में मिलावट घोटाला
(v) 2009 → 2G-स्पेक्ट्रम घोटाला (अध्यक्ष - P.C. चाको)

→ संयुक्त संसदीय समिति का गठन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं।

→ सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है।

→ सदस्यों का अनुपात 2:1 रहता है लोकसभा : राज्यसभा।

→ लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिलकर सदस्यों का चयन करते हैं।

[प्रवर समिति Select Committee]

→ किसी मुद्दे पर जाँच करने के लिए प्रवर समिति का गठन किया जाता है।

→ प्रवर समिति में लोकसभा में 30 सदस्य और राज्यसभा में भी 30 सदस्य होते हैं।

→ यदि संयुक्त प्रवर समिति बनती है तो उसमें 45 सदस्य होते हैं।

30 - लोकसभा से 15 - राज्यसभा से

→ यह भी अस्थायी समिति है।

NOTE :-

→ संविधान की एक मात्र समिति जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद - 344 में किया गया है।

→ भारत के संविधान में अनुच्छेद-343 में राजभाषा के तौर पर 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा अत: 1963 तक इसके बाद राजभाषा हिन्दी होगी।

→ इस प्रावधान का दक्षिण भारत राज्यों द्वारा इसका विरोध किया गया विरोध के बाद राजभाषा अधिनियम-1963 बना जिसके माध्यम से ये प्रावधान किया गया हिन्दी के साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी किया जाएगा।

→ वर्ष 1976 में राजभाषा समिति का गठन किया गया जिसका कार्य हिन्दी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देना है।

[राज भाषा समिति
Official Language Committee]

→ इस समिति में 30 सदस्य होते हैं।

20- लोकसभा से   16- राज्यसभा से

NOTE:-

→ संसद की भाषा अनुच्छेद-120 की तौर पर (सदन की भाषा) 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा परन्तु 1963 से अंग्रेजी को हिन्दी भाषा के साथ इस्तेमाल करने के लिए प्रावधान कर दिया गया और वर्तमान में अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं का प्रयोग संसद में किया जाता है।

→ क्षेत्रीय भाषा के सांसद अपनी भाषा में अपना भाषन दे सकते हैं परन्तु इसकी सूचना 1 दिन पहले देनी होती है।

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

[कार्य मंत्रणा समिति
Business Advisory Committee]

→ प्रत्येक सदन की कार्यवाही को संचालित करने के लिए कार्य मंत्रणा समिति गठित की जाती है।

→ लोकसभा राज्यसभा की अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति होती है लोकसभा की समिति में 15 सदस्य और राज्यसभा की समिति में 11 सदस्य होते हैं।

[लोक लेखा समिति
प्राक्कलन समिति
लोक उपक्रम समिति
JPC
राजभाषा] ⇒ Important समिति

[भारत सरकार की निधियाँ
Funds of the Government of India]

→ भारत ~~सरक~~ सरकार की तीन निधियाँ होती हैं।

1. संचित निधि - (अनुच्छेद - 266) - (Consolidated fund)
2. लोक-लेखा ~~समिति~~ निधि (अनुच्छेद - 266(1)) (Public Account)
3. आकस्मिक निधि (अनुच्छेद - 267) (contingency fund)

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

Article - 266

संचित निधि
(Consolidated fund)

→ भारत सरकार को प्राप्त होने वाला समस्त प्रकार का पैसा इस निधि में आ कर जमा होता है।

जैसे :- Tax का पैसा, ब्याज का पैसा आदि।

→ इस निधि से पैसा निकालनें के लिए सरकार को संसद से अनुमोदन लेना पड़ता है।

→ संचित निधि के दो प्रकार के व्यय होते है।

संचित निधि

भारत में व्यय (charged upon expenditure)	से किया गया व्यय (Made from)
→ संविधानिक पदाधिकारियों का वेतन। जैसे :- President, Vice-President, CAG, Judge etc.	→ इससे पैसा निकालने के लिए संसद का अनुमोदन आवश्यक है।
→ इसके लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।	→ बजट इस निधि पर ही पारित होता है।

Article- 266(1)

[लोक लेखा निधि / Public Account]

→ यह जनता का पैसा होता है जैसे भविष्य निधि, Post office, FD, योजनाएँ आदि।

→ इससे धन निकासी के लिए संसद की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है अत: इस पर वोटिंग नहीं होती।

[आकस्मिक निधि / Contigency fund]

→ किसी विशेष आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए जैसे:- युद्ध, सुनामी, भूकंप, आदि इस निधि का प्रयोग किया जाता है।

→ इस निधि का प्रयोग करने का अधिकार संसद ने राष्ट्रपति को दे रखा है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सरकार धन का प्रयोग कर सकती है।

→ संसद का अनुमोदन प्रयोग करने के बाद में लिया जाता है।

NOTE :-

→ इस निधि की देख-भाल भारत सरकार का वित्त सचिव करता है।

→ वर्तमान में ₹ 30,000 करोड़ की राशि आकस्मिक निधि के तौर पर है।

MPLADS

Member of parliament Local Area Development Scheme

→ इस योजना की शुरूआत वर्ष 1993 में हुई थी।

→ इस योजना के अंतर्गत 1 सांसद को अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए ₹ 5 करोड़ प्रति वर्ष मिलते हैं।

→ लोकसभा का निर्वाचित सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य कर सकता है।

→ राज्यसभा का निर्वाचित सांसद जिस राज्य से निर्वाचित हुआ है उस राज्य में कहीं भी विकास का कार्य कर सकता है।

→ राज्यसभा से मनोनित सांसद पूरे भारत वर्ष में कहीं भी विकास का कार्य कर सकता है।

बजट
Budget

→ बजट फ्रांसिसि भाषा के बुजेट शब्द से निकला है जिसका अर्थ है चमड़े का थैला।

→ भारतीय संविधान में बजट नाम के शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।

→ भारतीय संविधान में बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तिय विवरण नाम के शब्द का प्रयोग किया गया है (अनुच्छेद-112 में)

वार्षिक वित्तीय विवरण
Annual financial statement

→ वार्षिक का अर्थ है (01 April - 31 March) !

→ 1 April - 31 March तक किए लेखा जोखा !

NOTE:-

→ भारत में पहले 1927, में बनी एकवर्थ समिति की सिफारिश से 1924 से आम बजट और रेलवे बजट को अलग - अलग कर दिया गया !

→ सन् 2017 में बजट से आम बजट और रेलवे बजट को एक कर दिया गया !

Article - 112

राष्ट्रपति प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष के लिए संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण पेश कराता है !

बजट के स्टेप
Steps of Budget

→ बजट का पेश करना !

→ बजट पर बहस करना !

→ विभागीय समितियों द्वारा जाँच !

→ अनुदान मांग !

→ कटौती प्रस्ताव / लेखा अनुदान !

→ वित्त विधेयक का पास होना !

बजट का पेश करना

~~Presenting~~
Presentation of Budget

→ भारत का वित्त मंत्री February माह के प्रथम सप्ताह में बजट पेश करते हैं लोकसभा में।

→ 1860 में भारत का प्रथम बजट जेम्स विल्सन ने पेश किया।

→ आजाद भारत का प्रथम बजट सनमुख चेट्टी ने 1947 में पेश किया।

→ इंदिरा गाँधी भारत की प्रथम महिला बजट पेश की 1970-71 में।

बजट पर बहस करना
Debate the Budget

→ 3-4 दिन बजट पर बहस चलती है।
बजट की प्रतिलिपि सभी सदस्यों के पास होती है।

विभागीय समितियों द्वारा जाँच
Inquiry by Departmental Committees

→ 24 विभागीय समितियाँ बजट की जाँच करती हैं।

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

[अनुदान मांग Demand for Grants.]

→ सरकार आगामी वित्तिय वर्ष के लिए विभिन्न प्रकार की अनुदान मांग रखती है!

[कटौती प्रस्ताव Cut Motion]

↓

- नीतिगत कटौती (Policy cut)
- आर्थिक कटौती (Economic cut)
- सांकेतिक कटौती (Token cut)

नीतिगत कटौती (Policy cut)

→ विपक्ष सरकार के बजट में से ₹ 1 कम करने की मांग करते हैं!

→ यदि ₹ 1 विपक्ष ने काट लिया तो सरकार गिर जाएगी!

आर्थिक कटौती (Economic Cut)

→ जब सरकार की समस्त आर्थिक नीतियों की बुराई की जाती है और पूरे बजट को खराब बताया जाता है

[सांकेतिक कटौती
Token Cut]

→ विपक्ष ₹ 100 कम करने की मांग करता है!

NOTE:-

→ यदि कोई भी कटौती प्रस्ताव पारित होता है तो सरकार गिर जाएगी!

NOTE:-

→ विभागीय समितियों की जाँच तथा बजट पर बहस होते-होते April महीना नजदीक आ जाता है और सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए धन की आवश्यकता होती है इस धन की पूर्ति करने के लिए लेखा अनुदान!

[लेखा अनुदान
Vote on Account]

→ सरकार 2 महीनें के खर्चे के लिए कुल बजट का 1/6वां भाग की मांग करती है और इसे 2 महीने खर्चे करती है और ये कुल बजट में जुड़ जाता है!

NOTE :-

→ वर्तमान में बजट February के प्रथम सप्ताह में पेश होता है इसलिए सरकार को लेखा अनुदान की आवश्यकता नहीं होती।

[विनियोग विधेयक
Appropriation Bill]

→ संसद की संचित निधि से विनियोग विधेयक पारित होने पर ही पैसा निकाला जा सकता है अत: विनियोग विधेयक का पारित होना आवश्यक है।

[वित्त विधेयक का पारित होना
Passing of Finance Bill]

→ बजट एक वित्त विधेयक ही है अत: बजट को पास करने के लिए वित्त विधेयक के रूप में पारित करना होता है।

[अनुपूरक मांग
Supplementry Grant]

→ सरकार को दिए गए बजट में यदि वार्षिक वर्ष का खर्च पूरा नहीं होता है तो सरकार को उस खर्चे के लिए अनुपूरक मांग रखनी होती है।

अतिरिक्त मांग
Extra Demand

→ सरकार को किसी नई सेवा को जोड़ने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है इस धन की मांग को अतिरिक्त मांग कहते हैं।

Article-110

→ किसी कर (Tax) को लगाना, किसी कर (Tax) को हटाना, दर (Rate) को कम करना, दर (Rate) को बढ़ाना।

→ संचित निधि से धन का निकास अत: धन का विनियोग

→ संचित निधि के भारित व्यय को बढ़ाना।

→ संचित निधि और आकस्मिक निधि का रख-रखाव करना।

→ धन विधेयक में कोई जुर्माना नहीं आता है।

→ लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं।

→ • धन विधेयक लोकसभा में पेश होता है राज्यसभा में नहीं।

→ राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से आता है।

→ राष्ट्रपति इसे पुर्नविचार के लिए वापस नहीं कर सकते।

- धन विधेयक के संबंध में **राज्यसभा** के पास अधिक शक्ति नहीं होती है।
- **राज्यसभा** धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है यदि 14 दिन में पारित नहीं करती है तो **लोकसभा** स्वत: इसे पारित कर सकती है।
- यदि **राज्यसभा** धन विधेयक में कोई परिवर्तन करती है तो **लोकसभा** उन परिवर्तनों/संसोधनों को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है।
- धन विधेयक के संबंध में **राज्यसभा** के पास अधिक शक्ति नहीं होता है समस्त शक्ति **लोकसभा** में निहित रहती है।

वित्त विधेयक
Finance Bill

- वित्त विधेयक के अंतर्गत धन विधेयक छुपा हुआ होता है।
- हर धन विधेयक, वित्त विधेयक होता है।
- हर वित्त विधेयक, धन विधेयक नहीं होता है।

Article-117(1)	Article-117 (3)
वित्त विधेयक (1)	वित्त विधेयक (2)
→ वित्त विधेयक (1) में धन विधेयक की दो विशेषताएँ होती हैं।	→ वित्त विधेयक (2) में धन विधेयक की दो विशेषताएँ होती हैं।
(i) लोकसभा में पेश होता है।	(i) राज्यसभा में भी पेश हो सकता है।
(ii) राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से पेश होता है।	(ii) राज्यसभा की पूर्व मंजूरी आवश्यक नहीं है।

→ राज्यसभा के पास संशोधन की शक्ति निहीत होती है।

→ संयुक्त अधिवेशन हो सकता है।

[ग्लूटीन
Gullituleon]

→ वास्तविक तौर पर ग्लूटीन एक व्यक्ति को मृत्यु दण्ड देने की मशीन है जिसका प्रयोग फ्रांस की क्रांति में किया गया था इसके माध्यम से मृत्यु की सजा को आसान और जल्दी दिया जा सकता था।

→ भारत के संसद में इस शब्द का प्रयोग बजट की प्रक्रिया को छोटा और आसान जल्दी करने के लिए किया जाता है कुछ महत्त्वपूर्ण विभागों के अनुदान मांगों को जल्दी से पारित करा दिया जाता है वर्तमान में गिलोटीन का प्रयोग देखने को मिल रहा है।

लेम डक
Lame Duck.

→ लेम डक का अर्थ होता है लंगड़ी बत्तख अर्थात् ऐसा व्यक्ति जिसका कार्यकाल पूरा हो गया हो।

→ इस शब्दावली का प्रयोग संसद में कार्यकाल खत्म होने वाली सरकार के अंतिम बजट, के सांसदों, अमेरिका के राष्ट्रपति आदि के लिए जाता है।

NOTE :-

→ सत्ताहीन व्यक्ति

लोकसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन
State-Wise allocation of Lok Sabha Seats.

S.No.	राज्य / State	Seat	S.No.	राज्य / state.	Seat
1.	आंध्र प्रदेश	25	15.	मणिपुर	02
2.	अरुणाचल प्रदेश	02	16.	मेघालय	02
3.	असम	14	17.	मिजोरम	01
4.	बिहार	40	18.	नागालैंड	01
5.	छत्तीसगढ़	11	19.	ओडिशा	21
6	गोवा	02	20.	पंजाब	13
7.	गुजरात	26	21.	राजस्थान	25
8.	हरियाणा	10	22.	सिक्किम	01
9.	हिमाचल प्रदेश	04	23.	तमिलनाडु	39
10.	झारखंड	14	24.	तेलंगाना	17
11.	कर्नाटक	28	25.	त्रिपुरा	02
12.	केरल	20	26.	उत्तराखंड	05
13.	मध्य प्रदेश	29	27.	उत्तर प्रदेश	80
14.	महाराष्ट्र	48	28.	पश्चिम बंगाल	42.

सर्वाधिक सीट वाले राज्य

1. उत्तर प्रदेश → 80
2. महाराष्ट्र → 48
3. मध्य प्रदेश → 29
4. बिहार → 40
5. झारखंड → 14
6. पश्चिम बंगाल → 42
7. राजस्थान → 25
8. मणिपुर → 02

[लोकसभा में संघ-राज्यों को आवंटित सीट
Seats allotted to the Union Territories in the loksabha]

S.No.	संघ राज्य-क्षेत्र	Seat	S.No.	संघ राज्य क्षेत्र	Seat
1.	अंडमान और निकोबार	01	5.	दिल्ली	07
2.	चंडीगढ़	01	6.	पुदुच्चेरी	01
3.	दादर-नगर हवेली एवं दमन-दीव	02	7.	जम्मू और कश्मीर	05
4	लक्षद्वीप	01	8.	लद्दाख	01

सबसे कम सीटें :-

1. सिक्किम → 01 2. नागालैंड → 01 3. मिजोरम → 01

→ सर्वाधिक अनुसूचित जाति की सीटें → UP - 17
→ सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की सीटें → MP - 06
→ बिहार में अनुसूचित जाति की सीटें → 06
→ बिहार में अनुसूचित जनजाति की सीटें → 00.

राज्यसभा में सीटों का राज्यवार आवंटन
State-wise allocation of Seats in Rajyasabha.

S.No.	राज्य /state	Seats	S.No.	राज्य /state	Seats
1.	आंध्र प्रदेश	11	15	मणिपुर	01
2.	अरुणाचल प्रदेश	01	16	मेघालय	01
3.	असम	07	17.	मिजोरम	01
4.	बिहार	16	18	नागालैंड	01
5.	छत्तीसगढ़	05	19	ओड़िशा	10
6.	गोवा	01	20	पंजाब	07
7.	गुजरात	11	21	राजस्थान	10
8.	हरियाणा	05	22	सिक्किम	01
9.	हिमाचल प्रदेश	03	23	तमिलनाडु	18
10.	झारखंड	06	24	तेलंगाना	07
11.	कर्नाटक	12	25	त्रिपुरा	01
12.	केरल	09	26	उत्तराखंड	03
13	मध्यप्रदेश	11	27	उत्तर प्रदेश	31
14	महाराष्ट्र	19	28	पश्चिम बंगाल	16

राज्यसभा में संघ राज्य-क्षेत्रों को आवंटित सीटें
Seats allotted to Union Territories in Rajyasabha.

S.No.	Union Territories	Seats
1.	दिल्ली	03
2.	पुदुच्चेरी	01
3.	जम्मू और कश्मीर	04.

लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों में अंतर

लोकसभा	राज्यसभा
* धन विधेयक लोकसभा में पेश होता है।	→ धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है।
* लोकसभा राज्य-सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित नहीं कर सकती है।	→ राज्यसभा राज्य-सूचि के किसी विषय को उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्य कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व घोषित कर सकती है।

Article - 102

सांसदों के अयोग्यता के आधार
Disqualifications of the MP

आधार निम्नलिखित है

- → संवैधानिक प्रावधान
- → जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951
- → दल - बदल
- → Supreme Court के महत्वपूर्ण निर्णय

संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions)

संविधान के अनुच्छेद - 102.

- → पागल हो गया हो।
- → दिवालिया हो गया हो।
- → किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर ली।
- → संसद के द्वारा बनाये गए नियम के अनुसार अयोग्य।

जन प्रतिनिधि अधिनियम, 1951
(People's Representative Act, 1951)

- यदि किसी सांसद को 2 या 2 वर्ष से अधिक की सजा हुई हो।
- तो आगामी 6 वर्ष के लिए सदस्यता बाधित।

दल - बदल विरोधी अधिनियम, 1985
(Anti Defection Act, 1985)

- यदि कोई सांसद किसी पार्टी से निर्वाचित हुआ है और दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए।
- पार्टी आदेश का पालन न करने पर।
- निर्दलीय सदस्य किसी दल में शामिल हो गया।
- नामित सदस्य मनोनीत सदस्य किसी दल का सदस्य बन जाए।

(Article-101) अनुपस्थित होने पर (In Absentia)

- यदि लगातार 60 कार्य दिवस तक बिना किसी सूचना नोटिस . अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी।

NOTE:-

राहुल गाँधी की सदस्यता मानहानि के मामले में 2 वर्ष की सजा (criminal मानहानि) होने से जन-प्रतिनिधि अधिनियम 1951 का उल्लंघन हुआ (Section - 8(3)) जिसके तहत 2 वर्ष की सजा होने पर सदस्यता चली जाती है राहुल गाँधी की सदस्यता इसके अंतर्गत साबित कर दी गई।

2013 में लिली थॉमस वाद/केस में Supreme Court ने सदस्यता की अयोग्यता का निर्धारण किया।

जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की Section - 8 (3), 8(4) को सही माना।

भाग - 6 (Article - 152 - 237)

राज्य

राज्य विधान मंडल
State Legislature
(Article - 168 - 212)

Article - 168

- राज्य विधान मंडल में राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद् से मिलकर बना है।
- जिन - जिन राज्यों में विधान परिषद् है।
- 6 राज्यों में विधान परिषद् है।
  (आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना)

NOTE:-

- विधान परिषद् वाले राज्यों को अनुच्छेद - 168 के तहत साधारण बहुमत से जोड़ा जाता है न कि 368 के तहत संविधान संशोधन के माध्यम से।

Article-170

[विधान सभा
Legislative Assembly]

→ विधान सभा राज्य विधान मंडल का निम्न सदन है (लोकसभा की भांति) जनता का सदन है।

→ अत: भारत में किसी विधान सभा की संख्या 500 से अधिक नहीं होगी।

→ सर्वाधिक संख्या - उत्तर प्रदेश - 403.

→ न्यूनतम संख्या में कुछ अपवाद है।

Sikkim - 32 Goa - 40
Mizoram - 40 Arunachal Pradesh - 60

→ सर्वाधिक कम सीटों की संख्या वाला राज्य सिक्किम है।

→ सर्वाधिक कम सीटों की संख्या वाला केन्द्र शासित प्रदेश पुदुच्चेरी है।

→ भारत में सर्वाधिक कम सीटों की संख्या वाला राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश पुदुच्चेरी है।

[विधान सभा में संघ राज्य-क्षेत्रों को आवंटित सीटें
Seats alloted to Union Territories in Legislative Assembly]

S.No.	Union Territories	Seats
1.	दिल्ली	70
2.	पुदुच्चेरी	30
3.	जम्मू और कश्मीर	90

[विधान सभा में सीटों का राज्यवार आवंटन
State-Wise allocation of seats in Legislative Assembly]

S.No.	राज्य / state	Seats	S.No.	राज्य / state	Seats
1.	आंध्र प्रदेश	175	15.	मणिपुर	60
2.	अरुणाचल प्रदेश	60	16.	मेघालय	60
3.	असम	126	17.	मिजोरम	40
4.	बिहार	243	18.	नागालैंड	60
5.	छत्तीसगढ़	90	19.	उड़ीसा	147
6.	गोवा	40	20.	पंजाब	117
7.	गुजरात	182	21.	राजस्थान	200
8.	हरियाणा	90	22.	सिक्किम	32
9.	हिमाचल प्रदेश	68	23.	तमिलनाडु	234
10	झारखंड	81	24.	तेलंगाना	119
11.	कर्नाटक	224	25.	त्रिपुरा	60
12.	केरल	140	26.	उत्तराखंड	70
13	मध्यप्रदेश	230	27.	उत्तर प्रदेश	403
14	महाराष्ट्र	288	28.	पश्चिम बंगाल	294

NOTE:-

→ सीटों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है।

→ 1971 की जनगणना से 2026 तक सीमित कर दी गई है।

Article-169

[विधान परिषद् Legislative Council]

→ विधान परिषद् का गठन संसद करता है।

→ विधान सभा 2/3 के उपस्थित और मतदान के बहुमत से संकल्प पारित करेगी उसके बाद संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विधान परिषद् का गठन करेगी।

→ संसद के ऊपर ही या संसद पर ही निर्भर करता है कि वह गठन करे या न करें।

→ इस संबंध में राज्य की विधान सभा की शक्ति सीमित है।

[विधान परिषद् को समाप्त करना Abolition of Legislative Council]

→ विधान परिषद् को समाप्त करने की प्रक्रिया विधान परिषद् के गठन करने की प्रक्रिया के समान है।

NOTE:-

→ विधान परिषद् को समाप्त संसद करता है और समाप्त करने की प्रक्रिया शुरूआत विधान सभा में होती है।

Ariticle-171

विधान परिषद् की संरचना
Composition of Legislative Council

- विधान परिषद् में न्यूनतम 40 सदस्य होंगे।
- विधान परिषद् में अधिकतम विधान सभा की कुल सीट का 1/3 से अधिक नहीं।

विधान परिषद् में सीटों का राज्यवार आवंटन
State-Wise allocation of Seats in Legislative council

S.No.	राज्य / State	Seats
1.	उत्तर प्रदेश	100
2.	बिहार	75
3.	महाराष्ट्र	78
4.	कर्नाटक	75
5.	तेलंगाना	40
6.	आंध्र प्रदेश	50.

विधान सभा का चुनाव
Legislative Assembly Elections

→ राज्य की जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से अग्रताही विजेता (First post the past system) प्रणाली से होता है।

→ सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला दल विधान सभा में सरकार बनाता है।

विधान परिषद् का चुनाव
Legislative Council Elections

→ विधान परिषद् का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है।

विधान परिषद् का निर्वाचन मंडल
Electoral College of Legislative Council.

→ विधान परिषद् में 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनित करेगा।

→ 1/3 सदस्यों को राज्य विधान सभा के सदस्य निर्वाचित करेंगे।

→ 1/3 सदस्यों को पंचायत में जिला परिषद् और नगर पालिका परिषद् के सदस्य निर्वाचित करेंगे।

→ 1/12 सदस्यों को उच्च माध्यमिक शिक्षा के शिक्षक जो 3 वर्ष नौकरी कर चुके हैं।

→ 1/2 सदस्यों को स्नातक के छात्र जो 3 वर्ष पूर्व स्नातक कर चुके हैं।

NOTE:-

→ इस प्रकार से बिहार विधान परिषद् के 75 सीटों का निर्वाचन होता है।

Article-173

[विधानसभा और विधान परिषद् के सदस्यों की योग्यता
Qualification of the Members of Legislative Assembly and Legislative Council]

विधानसभा (Legislative Assembly)	विधान-परिषद् (Legislative-council)
→ भारत का नागरिक हो।	→ भारत का नागरिक हो।
→ वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।	→ वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
→ पागल दिवालिया न हो।	→ पागल - दिवालिया न हो।
→ जन - प्रतिनिधि अधिनियम 1951 का पालन करता हो।	→ जन - प्रतिनिधि अधिनियम 1951 का पालन करता हो।

Article- 188

[विधानसभा और विधान परिषद् के सदस्यों का शपथ]

- इनकी शपथ का वर्णन अनुसूची-3 में है।
- संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा, श्रद्धा, रखने की शपथ लेते हैं।

Article- 172

[विधान सभा और विधान परिषद् का कार्यकाल]

विधान सभा	विधान परिषद्
→ विधान सभा का कार्यकाल - 5 वर्ष होती है।	→ विधान परिषद् का कार्यकाल अनिश्चित होती है।
→ चुनाव - 5 वर्ष	→ चुनाव - प्रत्येक 2 वर्ष में
→ सदस्य का कार्यकाल - 5 वर्ष	→ सदस्य का कार्यकाल - 6 वर्ष

NOTE:-

- विधान परिषद् एक उच्च सदन है यह स्थायी सदन है इसको विघटित नहीं किया जा सकता है राज्यसभा को समाप्त और विघटित नहीं किया जा सकता है यह एक राज्यसभा और विधान परिषद् में अंतर है।

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

Article- 178

[विधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष]

→ नवनिर्वाचित विधान सभा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनेगी।

→ सामान्यतः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बहुमत दल से होते हैं।

→ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं इनकी शपथ विधान सभा के सदस्य के तौर पर होती है।

Article- 179

[विधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना पदत्याग और पद से हटाया जाना]

→ विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है।

→ अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया विधानसभा में शुरू होती है।

→ विधानसभा अपने प्रभारी बहुमत से (50%+1) यदि प्रस्ताव पारित करती है और अध्यक्ष को हटा हुआ मान लिया जाता है।

→ जब अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया चल रही होती है तब निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर सकता है।

→ विधानसभा का पीठासीन नहीं हो सकता है।

→ सदस्य के तौर पर उपस्थित रह सकता है।

NOTE :-

→ लोकसभा के अध्यक्ष की तरह।

Article -180

[अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति]

→ अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करता है।

→ उपाध्यक्ष के न होने पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति विधान सभा का कार्य संचालन करता है।

Article-181

→ जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तो वह सदन का पीठासीन अधिकारी नहीं रह सकता है।

Article- 182

[विधान परिषद् का सभापति और उपसभापति]

→ नवनिर्वाचित विधान परिषद् अपने सदस्यों में से सभापति / उपसभापति का चुनाव करेगी।

Article- 183

[सभापति और उपसभापति का पद का रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना]

→ सभापति अपना त्याग पत्र उपसभापति को देता है।

→ उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को देता है।

[सभापति को पद से हटाया जाना
Removal of chairman from the post]

→ विधान परिषद् अपने प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव पारित करके (50%+1) सभापति को पद से हटा देती है।

Article- 184

[सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति]

→ सभापति के अनुपस्थित होने पर उपसभापति उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है यदि उपसभापति अनुपस्थित है तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति सभापति के तौर पर कार्य करता है।

Article- 185

→ जब सभापति पर पद से हटाने का संकल्प चल रहा हो तो वह पीठासीन नहीं रहेगा।

Article- 186

[अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते]

→ इनका वेतन दूसरी अनुसूची के अनुसार मिलता है राज्यविधान मंडल इसको निश्चित करता रहता है।

NOTE :-

→ विधान परिषद् का सभापति उसका सदस्य होता है इसलिए सभापति का कार्यकाल यहाँ 6 वर्ष होता है जबकि राज्यसभा के सभापति का ~~कार्यकाल~~ कार्यकाल 5 वर्ष होता है क्योंकि सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता।

राज्य विधानमंडल कानून का निर्माण करता है विधान-मंडल के विधेयक 3 प्रकार के होते हैं

1. साधारण विधेयक (Article-196)
2. ~~विधेयक पर चर्चा करना~~ धन विधेयक (Article-199)
3. ~~विधेयक पर वोटिंग करना~~ वित्त विधेयक (Article-207)

Article-196

साधारण विधेयक (General Bill)

→ साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश हो सकता है।

→ विधेयक के तीन चरण होते हैं।

(i) विधेयक को पेश करना।
(ii) विधेयक पर चर्चा करना।
(iii) विधेयक पर वोटिंग करना।

साधारण विधेयक की प्रक्रिया

→ यदि विधान सभा में विधेयक पेश और पारित होता है तो विधान परिषद् जाता है।

1. विधान परिषद् उस विधेयक को पारित कर सकती है संशोधन के साथ पारित कर सकती है पुर्नविचार के लिए वापिस कर सकती या अधिकतम 3 महीनें रोक सकती है।

2. विधान सभा विधान परिषद् के विधेयक को ज्यों का त्यों पारित कर सकती है।
→ फिर से विधान परिषद् को विधेयक भेज सकती है।

3. विधान परिषद्
→ विधेयक पारित कर सकती है।
→ विधेयक को अधिकतम 1 महीना रोक सकती है।

→ विधान परिषद् अधिकतम 4 महीनें (3+1) विधान सभा के विधेयक को रोक सकती है।
→ विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है।

Article-200

[विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति
Governor's assent to the Bill]

→ अनुमति दे सकता है
→ ना कर सकता है
→ पुर्नविचार के लिए लौटा सकता है
→ राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है

Article - 201

[राष्ट्रपति के लिए आरक्षित राज्य का विधेयक
State Bill reserved for the president]

राष्ट्रपति अनुमति दे सकते हैं।

राष्ट्रपति पुर्नविचार के लिए वापस कर सकता है।

राष्ट्रपति राज्य विधान मंडल के विधेयक को कितनी भी बार वापस कर सकता है।

राज्य विधान मंडल को हर 6 महीने में विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजना होता है।

राज्य का धन विधेयक (Art-199)	राज्य का वित्त विधेयक (Art-207)	राज्य का बजट (Art-202)
→ विधानसभा में पेश होता है।	→ वित्त विधेयक किसी भी सदन में पेश हो सकता है।	→ विधान सभा में पेश होता है।
→ राज्यपाल के पूर्व अनुमति से होता है।	→ राज्यपाल की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है।	→ राज्यपाल पेश करवाता है राज्य के वित्त मंत्री करते हैं।
→ विधान परिषद् 14दिन तक रोक सकती है।		→ संसद की तरह।

Article- 213

राज्य में अध्यादेश
Ordinance in the state.

→ जब राज्य विधान मंडल के दो सदनो में से विधान सभा ना चल रही हो तो राज्यपाल अध्यादेश के माध्यम से विधि निर्माण करता है।

→ अध्यादेश न्यूनतम 6 सप्ताह और अधिकतम 6 महीना तक रहता है 6 महीने के बाद यदि विधान मंडल पारित नहीं करता है तो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा।

विधानसभा की शक्तियाँ	विधान परिषद् की शक्तियाँ
→ धन विधेयक के संबंध में शक्ति।	→ धन विधेयक के संबंध में कोई शक्ति नही सिर्फ 14 दिन तक रोक सकता है।
→ राष्ट्रपति के ~~मतदान~~ चुनाव में मतदान की शक्ति।	→ राष्ट्रपति के चुनाव में कोई शक्ति नहीं।
→ मंत्रीपरिषद् जिम्मेदार विधान सभा।	→ जिम्मेदार नहीं।
→ बजट पेश होता है।	→ बजट पेश नहीं होता है।
→ अविश्वास प्रस्ताव पेश होता है।	→ अविश्वास प्रस्ताव नहीं होता है।
→ राज्यसभा के चुनाव मे मत।	→ नहीं होता है।

विधानसभा और विधान परिषद् के सामान्य शक्ति
Common Powers of Legislative Assembly and Legislative Council

- साधारण विधेयक के संबंध में।
- वित्त विधेयक (2) में।
- राज्य संविधानिक संस्थाओं के अधिकारियों को हटाने के संबंध में।
- राज्यपाल के अध्यादेश को पारित करने के संबंध में।

राज्य (State)

↓

- कार्यपालिका (Art- 153-167)
- विधायिका (Art-168-213)
- न्यायपालिका (Art - 214-232, Art - 233-237)

राज्यपाल
(Art-153-162)

C.M. मंत्रीपरिषद्
(Art- 163 & 164)

~~महाधिवक्ता~~
महाधिवक्ता
(Art - 165)

राज्य सरकार के कार्य
(Art - 166 & 167)

राज्यपाल
Governor
Article - 153-162

Article - 153

→ प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा।

→ 7 वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से एक व्यक्ति से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है।

Article - 155

[राज्यपाल की नियुक्ति
Appointment of Governor]

→ राष्ट्रपति अनुच्छेद - 155 में राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है अतः राज्यपाल मनोनित और निर्वाचित पद नहीं है!

NOTE :-

→ सरकारी आयोग 1983 में सिफारिश की थी राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से होनी चाहिए!

Article - 157

[राज्यपाल के पद की योग्यताएँ
Qualification for the post of Governor.]

→ भारत का नागरिक हो!
→ 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो!

Article - 158

[राज्यपाल के पद की शर्तें
Terms of office of the Governor]

→ राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो!
→ लाभ के पद पर ना हो!

Article - 159

राज्यपाल का शपथ
Oath of the Governor

→ राज्यपाल संविधान की परिरक्षण प्रतिरक्षण संरक्षण तथा राज्य के लोगों की कल्याण का शपथ लेता है।

→ High Court के मुख्य न्यायधीश या वरिष्ठ न्यायधीश शपथ दिलाने का कार्य करते है।

NOTE:-

→ यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बनता है तो उसे उस राज्य के राज्यपाल की शपथ फिर से लेनी पड़ती है।

Article - 156

राज्यपाल की पदाअवधि
Term of office of Governor

→ राज्यपाल राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यन्त तक कार्य करेगा।

→ राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है।

समान्यतः राज्यपाल अपना पद पदग्रहण से 5 वर्ष तक रहता है, एवं जब तक उत्तराधिकारी पद ग्रहण न करें।

NOTE:-

→ M.M. Munsi आयोग ने 2007 में यह सिफारिश की राज्यपाल को उसके पद से महाभियोग के माध्यम से हटाना चाहिए परन्तु इसे स्वीकार नहीं किया गया वर्तमान में राज्यपाल के पद के लिए कोई महाभियोग का प्रावधान नहीं है।

Article- 158

[राज्यपाल का वेतन एवं उपलब्धियाँ
Salary and Emoluments of the Governor.]

→ राज्यपाल का वेतन संसद तय करेगा।

→ वर्तमान वेतन ₹ 3.5 लाख महीना है।

→ वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है।

→ यदि कोई व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल बनता है तो उसका वेतन दो राज्यों में राष्ट्रपति के अनुसार बाँट दिया जाता है।

→ राज्यपाल का वेतन और भत्ते उसके पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं।

Article-160

→ राज्यपाल का पद अगर खाली होता है तो ऐसी स्थिति में पद कौन ग्रहण करेगा इसका प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है प्रावधान करने की शक्ति राष्ट्रपति मे निहित है।

राज्यपाल की शक्तियाँ
Powers of the Governor

→ राज्यपाल राज्य का संविधानिक प्रमुख होता है।

→ राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है।

Article-154

→ राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नीहित है।

→ वह स्वयं और अधीनस्थों के माध्यम से करता है।

→ राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रीपरिषद् की नियुक्ति करेगा (अनुच्छेद - 164)

→ राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है।

→ राज्यपाल विश्व विद्यालय के उप कुलाधिपति की नियुक्ति करता है।

→ राज्यपाल विश्व विद्यालय का कुलपति होता है।

→ मुख्यमंत्री मंत्रीपरिषद् की नियुक्ति करता है (अनुच्छेद - 164)

→ राज्य का लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करता है (अनुच्छेद - 315)

→ राज्य का वित्त आयोग (अनुच्छेद - 243(I))

→ राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं (अनुच्छेद - 166)

Article - 167

→ मुख्यमंत्री राज्यसरकार के विधान और कार्यपालिका संबंधी कार्यों की सूचना राज्यपाल को देगा।

राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ
Legislative Powers of the Governor

→ राज्यपाल राज्य के विधान मंडल का अभिन्न अंग है (अनुच्छेद - 168)

→ राज्यपाल विधान सभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनित करता था (अनुच्छेद - 333)

NOTE :- 104 वें संविधान संशोधन 2019 से वर्तमान में नहीं रोक दिया गया है।

→ राज्यपाल विधान परिषद् 1/6 सदस्यों को मनोनित करता है (अनुच्छेद - 171)

NOTE :- राज्यपाल साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा या सहकारिता आंदोलन से जुड़े 1/6 व्यक्तियों को मनोनित करता है।

→ राज्यपाल विधान मंडल में सत्र को आहूत और सत्रावसान करते हैं (अनुच्छेद- 174)

→ विधान सभा वर्ष के प्रथम सत्र और चुनाव के बाद का प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं (अनुच्छेद-176)

→ राज्य विधान मंडल के सदस्यों की निरर्हता को राज्यपाल करते हैं (अनुच्छेद- 192)

→ राज्य में कानून का निर्माण राज्यपाल के हस्ताक्षर से होती है (अनुच्छेद -200)

[राज्यपाल की न्यायिक शक्ति
Judicial Power of the Governor]

Article-161

[क्षमादान की शक्ति (Power of Pardon)]

→ राज्यपाल किसी दण्ड को कम कर सकते हैं प्रकृति बदल सकते हैं माफ कर सकते हैं परन्तु मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता है उसे कम कर सकते हैं।

→ सैन्य न्यायलय के दंड को माफ नहीं कर सकते हैं।

→ अधीनस्थ न्यायलयों के न्यायधीशों की नियुक्ति High Court के परामर्श से (अनुच्छेद- 233)

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

- High Court के न्यायधीश नियुक्ति में राज्यपाल से परामर्श किया जाता है (अनुच्छेद-217)
- राज्य न्यायिक सेवा के कर्मचारियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं (अनुच्छेद-234)

राज्यपाल की स्वयं विवेकीय शक्तियाँ
Discretionary Powers of the Governor.

NOTE:- भारत के संविधान में स्वयं विवेक की शक्ति राज्यपाल के संबंध में किया गया है

- राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है (अनुच्छेद-200)
- राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकता है (अनुच्छेद-356)